न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 04/2018
प्रकरण दर्ज तिथि :— 01.10.2018
जीसीएमएस नम्बर :— 2018/00172

1. प्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र श्री पुना
2. नारायणलाल पुत्र पुना समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण बिराटिया खुर्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. रूगाराम पुत्र नेनाराम जाति सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द
2. भंवरीदेवी पुत्री मंगलाराम जाति देवासी निवासी बिराटिया खुर्द
3. राज. सरकार बजरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री फिरोज खान अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक : 18.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 728 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 730 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। प्रार्थी संख्या 02 खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द, पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 727 रकबा 03 बिघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 731 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 729 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। जिनकी जमाबंदी संवत् 2071—2071 की प्रमाणित प्रति नक्शा टेस पेश हैं। प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728, 730 में बिना रोक टोक अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 729 में से एक तरफ से होकर अपने खेत में आ जाते थे। प्रार्थीगण के कृषि के संबंध के साधन भी आ जा रहे थें। जो प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से आवागमन हेतु रास्ता उपभोग उपयोग करते थें। लेकिन अप्रार्थीगण ने दिनांक 25.09.2018 को प्रार्थी के खेत में आ रहे मजदूरों का जाने से मना कर दिया और कहा कि मेंरी खातेदारी भूमि हैं और उक्त कच्चा रास्ता बंद कर दिया हैं इसीलिए प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है।। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 728, 730 में आने जाने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी गण के खसरा नम्बर 729 में से रास्ता दर्ज करवाने हेतु नियमानुसार शुल्क का भुगतान अप्रार्थीगण को करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी संख्या 01 खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 728 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 730 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। प्रार्थी संख्या 02 खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द, पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 727 रकबा 03 बिघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 731 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 729 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 729 में प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा श्री फिरोज खान अधिवक्ता ने पेश किया हैं जो संलग्न किया गया हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थीया भंवरीदेवी पत्नि मंगलाराम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01(10) सीपीसी का पेश किया हैं जों संलग्न पत्रावली किया गया हैं। प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01(10) सीपीसी स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनने के आदेश दिये गये थें। संशोधित शीर्षक पेश हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र श्री फिरोज खान अधिवक्ता ने पेश किया हैं जो संलग्न किया गया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तरमीम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया हैं लेकिन उक्त मूल प्रार्थना पत्र रास्ते बाबत् होने से इसमें तरमीम दुरूस्ती नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं। अप्रार्थीगण अधिवक्ता जबाव नहीं देना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से उनके प्रतिवेदन के पत्रांक 1153 दिनांक 11.12.2023 द्वारा प्राप्त किया गया। मौका रिपोर्ट में खातेदारान के उपरोक्त वर्णित खसरों तक पहुंच का कोई मार्ग नही हैं। खातेदारान अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 729 एवं 729/2 में से होकर निकलते रहे हैं जिसे कांटे बाडे डाल कर अवरूद्ध कर दिया गया हैं। इसलिए उक्त खातेदारान चाहते हैं कि राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार रास्ता दर्ज किया जावें। खातेदारान की उपरोक्त वर्णित भूमि पर पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। खसरा नम्बर 754 गै मु रास्ता से खातेदारान के खेत तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 729/2 में से 09 मीटर एवं 729 में से 101 मीटर दूरी तय करनी पडेगी अर्थात कुल 110 मीटर लम्बाई मार्ग की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ खसरा नम्बर 703 गै मु रास्ता से खातेदारान के खसरा नम्बर 727 तक पहुंचने के लिए 223 मीटर दूरी तय करनी पडेगी खसरानम्बर 754 गै मु रास्ता निकटतम हैं खसरा नम्बर 703 से आने के लिए खसरा नम्बर 725 की माठ पर 223 मीटर चलना पडेगा। प्रस्तावित रास्ता ए से बी (खसरा नम्बर 754) लम्बाई 110 मीटर तथा चौडाई 06 मीटर कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर एवं प्रस्तावित रास्ता सी से डी (खसरा नम्बर 703 से) लम्बाई 223 मीटर तथा 06 मीटर कुल क्षेत्रफल 1338 वर्ग मीटर जो नजरी नक्शा में दर्शाया हैं के अनुरूप नियमानुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की हैं। उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार रायपुर के द्वारा रास्ते मे दर्ज होने वाली भूमि का प्रस्तावित मार्ग ए से बी की गणना राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जावे एव हम नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु सहमत है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि हमने प्रार्थी को आने–जाने से नहीं रोका हैं एवं हमारे खातेदारी भूमि कम हैं तथा प्रार्थी को आने–जाने हेतु अन्यत्र रास्ता बहूत हैं, इसीलिए उक्त रास्ता नहीं दिया जावें, पत्रावली खारिज किये जाने योग्य हैं।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस , मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 727, 728, 731 730 में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 727, 728, 731 730 में आने जाने हेतु सरहद

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 729/2 में से 09 मीटर एवं खसरा नम्बर 729 में से 101 मीटर अर्थात कुल 110 मीटर लम्बाई मार्ग तथा चौडाई 06 मीटर कुल क्षैत्रफल 660 वर्ग मीटर रास्ता नजरी नक्शा अनुसार दिये जाँने की अनुंशषा की है। उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। अतः रास्ते की गणना, तहसीलदार रायपुर तहसील राजस्व लेखाकार से करवाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। नियमानुसार गणना राशि तहसीलदार रायपुर को जमा करवाने के बाद सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौका रिपोर्ट पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 727, 728, 731 730 में आने जाने हेतु सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 729/2 में से 09 मीटर एवं खसरा नम्बर 729 में से 101 मीटर अर्थात कुल 110 मीटर लम्बाई मार्ग तथा चौडाई 06 मीटर कुल क्षैत्रफल 660 वर्ग मीटर रास्ता नजरी नक्शा अनुसार(ए से बी) रास्ता. दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः खसरा नम्बर 729/2 एवं 729 मे से रकबा ,अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गै. मुमकित रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि की किस्म खसरा नम्बर 729/2 एवं 729 में किस्म बारानी दोयम से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिया जाने वाली रास्ते का राजस्थान सरकार द्वारा तयशुदा नियमानुसार राशि प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को प्रभावित अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। संबंधित अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्व नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)